26.7.19

वकलाय उभय

वकलाय उभयपक्षकारान की प्रार्थना
पत्र आदेश 22 नियम 3 C.P.C. पर सुन
कर प्रकरण के हालातों व तथ्यों पर
मनन किया तथा पत्रावली का
अवलोकन किया। वकील वादीगण का

Scanned by CamScanner

अपनी बहस के दौरान मुख्य निवेदन यह रहा है कि वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध धारा 88, 188 राजस्थान काश्त० अधिनियम के तहत यह वाद प्रस्तुत किया है। वादी के दिनांक 18-7-14 को फौत होने पर वादी के विधिक उत्तराधिकारियों को प्रकरण में रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। जिसे स्वीकार किया जाकर वादी के का०मु० ए/1 से ए/3 को वाद पत्र में रिकार्ड पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

वकील प्रतिवादीगण का अपनी बहस के दौरान मुख्य निवेदन यह रहा है कि वकील वादी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 3 C.P.C मयाद बाहर प्रस्तुत किया गया है। जो वादी की मृत्यु के करीब 16 माह बाद प्रस्तुत किया है। विधिक प्रावधानों के तहत पक्षकार की मृत्यु के 90 दिवस भीतर कायम मुकाम को रिकार्ड पर लेने का आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। अन्यथा वाद का उपशमन हो जाता है। वाद के उपशमन को अपास्त करने हेतु परिसीमा अधिनियम अनुसार 60 दिवस भीतर आवेदन प्रस्तुत हो सकता है। उसके बाद प्रस्तुत किया गया आवेदन विधिक रूप से पोषणीय नहीं होने के कारण खारिज योग्य है। वकील वादी के द्वारा मयाद बाहर प्रस्तुत किये गये आवेदन को अन्दर मयाद शुमार हेतु परिसीमा अधिनियम के प्रावधान

अनुसार आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है इसलिए वादी का आवेदन पोषणीय नहीं होने के कारण इसे खारिज फरमावे। अपनी बहस के समर्थन मे निम्न कानूनी नजीरें पेश की गई है - (1) RRT 2010(2) P. 1437, (2) RRT 2010(2) P. 1458, (3) R.R.T. 2009 (2) P. 947. (4) Art. 120, 121 Limitation Act.

हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस के तथ्यो पर मनन किया। प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर लाये गये तथ्यो अनुसार हालात इस प्रकार है कि वादी की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लाने हेतु आवेदन पत्र दिनांक 27.11.15 को वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसके संलग्न मृत्यु प्रमाणपत्र अनुसार वादी रामाराम की मृत्यु दिनांक 18.07.2014 को होना अंकित है। वादी के प्रा०पत्र में उक्त प्रार्थना पत्र को करीब 16 माह पश्चात प्रस्तुत करने का जिक्र व स्पष्टीकरण नहीं है जबकि मृत वादी के विधिक उत्तराधिकारी को पक्षकार बनाने के लिए वादी की मृत्यु की तारीख के 90 दिवस भीतर आवेदन का प्रावधान C.P.C. के तहत है उक्तानुसार विधि द्वारा परिसीमित समयावधि के भीतर आवेदन

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	नही करने की दशा मे वाद का उपशमन हो जाता है उपशमन को अपास्त करने के लिए उपशमन की तारीख से 60 दिवस भीतर आवेदन करना आवश्यक है हाला प्रकरण मे वकील वादी द्वारा ऐसा नही किया गया है वादी द्वारा परिसीमा अधि० के प्रावधान के तहत आवेदन नहीं किया गया है। प्रस्तुत कानूनी नजीरो के उद्धरण भी भिन्न तथ्य होने से अनुचित प्रतीत होते है।	
	अतएव पत्रावली पर लाये गये तथ्यो व हालातो अनुसार वादी की मृत्यु दिनांक 18-7-14 को होने के करीब 16 माह पश्चात विधिक उत्तराधिकारियो को प्रकरण मे रिकार्ड पर लिये जाने हेतु आवेदन किया गया है। जिसका कोई स्पष्टीकरण अथवा विलम्ब का कोई उपयुक्त कारण दर्शित नहीं किया है। अतः विधि द्वारा निर्धारित परिसीमा भीतर आवेदन प्रस्तुत कर मृतक वादी के वा०प्र० को रिकार्ड पर लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत नही करने के कारण वाद का उपशमन हो चुका है तथा उपशमन को अपास्त करने हेतु वादी की ओर से कोई आवेदन प्रस्तुत नही किया गया है अतः वाद उपशमन होने के कारण वादी का आवेदन O.22 R.3 CPC पोषणीय नही होने	

[illegible]

Scanned by CamScanner